29/04/25

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुपस्थित। वादी व वादी वकील को उपस्थित होने के लिए बार - बार, रुक - रुक कर आवाज लगवाई गई, किन्तु वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं हुए।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा